उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लिमिटेड

पत्र संख्या– 194 – मु0अ0(वा0 एवं ऊ0ले0)/वाणिज्य–प्रथम दिनांक : जुलाई 04, 2011

प्रबन्ध निदेशक,
दक्षिणांचल/पश्चिमांचल/मध्यांचल/पूर्वांचल
विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,
आगरा/मेरठ/लखनऊ/वाराणसी।

प्रबन्ध निदेशक,
केस्को कानपुर।

वर्तमान में उपखण्ड अधिकारी पंखा बत्ती (LMV-1)/ वाणिज्यिक पंखा बत्ती (LMV-2) के नये संयोजन 7.5 किलोवाट तक स्वीकृत करने के लिए अधिकृत हैं।

आपको अवगत कराने का निदेश हुआ है कि एतद्द्वारा उपखण्ड अधिकारी को दर सूची श्रेणी (LMV-1) तथा (LMV-2) के अन्तर्गत विद्युत भार स्वीकृत करने की सीमा 7.5 किलोवाट के स्थान पर 10 किलोवाट की जाती है। अन्य नियम व शर्तें यथावत् रहेंगी।

भवदीय,

(केशव राम)
मुख्य अभियंता (वा0 एवं ऊ0ले0)

पत्र संख्या– – मु0अ0(वा0 एवं ऊ0ले0) तद्दिनांक:–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. सलाहकार एवं प्रमुख निजी सचिव, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0प0 का0 लि0, लखनऊ।
2. संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प0का0लि0, लखनऊ।
3. निदेशक (वित्त), उ0प्र0 प0का0लि0, लखनऊ।
4. निदेशक (वाणिज्य), उ0प्र0 प0का0लि0, लखनऊ।
5. निदेशक (वितरण), उ0प्र0 प0का0लि0, लखनऊ।
6. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), को अपने अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत करावें हेतु।
7. अधीक्षण अभियन्ता, आर0ए0पी0डी0आर0पी0, 15 वां तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, वाणिज्य एवं ऊर्जा लेखा, शक्ति भवन विस्तार, चतुर्थ तल, लखनऊ।
9. श्री रणधीर सिंह, सलाहकार।
10. श्री एस0एन0 अग्रवाल, सलाहकार।

भवदीय,

(केशव राम)
मुख्य अभियंता (वा0 एवं ऊ0ले0)